

राज्य के तत्वों के सम्बन्ध में विभिन्न विद्वानों द्वारा अपने विचार व्यक्त किए गये हैं। डॉ. गार्जर के अनुसार राज्य के निम्न तत्व हैं -

- 1) मनुष्यों का समुदाय
- 2) एक प्रदेश जिसमें वे स्थाई रूप से रहते हैं।
- 3) आन्तरिक सम्प्रमुखा और बाहरी नियंत्रण से स्वतंत्रता
- 4) एक ऐसा राजनीतिक संगठन जिसके द्वारा जनता की सामूहिक इच्छा की अभिव्यक्ति हो सके और उसे कार्यरूप में परिणत किया जा सके।

गौरव ने राज्य के चार तत्व - जनता, प्रदेश, सरकार और सम्प्रमुखा बताए हैं। वर्तमान समय में राज्य के इन चार तत्वों के विचार का स्वीकार किया जाता है। ये चार तत्व निम्नलिखित हैं -

- 1) जनसंख्या - व्यक्तियों के मिलकर ही राज्य का निर्माण होता है। इन सभी विद्वानों जनसंख्या को राज्य के आवश्यक तत्व के रूप में स्वीकार करते हैं। लेकिन एक राज्य के अन्तर्गत किसी जनसंख्या होनी चाहिए, इस सम्बन्ध में विद्वानों के विचारों में मतभेद है। जैसे, अरस्तू, खेसा जैसे विद्वानों प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रात्मक शासन को सर्वोत्कृष्ट समझते थे और क्योंकि तजा तंत्र के इस रूप

को कम जनसंख्या वाले राज्य में ही अपनाया जा सकता है। कुल: लंदन ने एक आदर्श राज्य में 5,040 नागरिक को हीना ली बताया है। इसी प्रकार लंदन ने एक राज्य की जनसंख्या 10 हजार बता ली है।

वर्तमान समय में गार्मर के शब्दों में कहा जा सकता है कि "जनसंख्या राज्य के संगठन के निर्वाह के लिए संख्या में पर्याप्त होनी चाहिए तथा वह उससे अधिक नहीं होनी चाहिए, जिन्ही के लिए पूरक तथा राज्य के साधन पर्याप्त हैं।"

(2) निश्चित प्रदेश — राज्य का दूसरा नत्व निश्चित प्रदेश है। राज्य राजनीतिक क्षेत्र से संगठन मूल्यों का समुदाय होता है और इन व्यक्तियों में संगठन स्थापित करने तथा इनमें शान्ति और व्यवस्था बनाने के लिए इन व्यक्तियों को स्थान क्षेत्र से एक निश्चित क्षेत्र में रहना अनिवार्य है। निश्चित प्रदेश का आसपास केवल सु-लोग ही नहीं बल्कि उसके अन्तर्गत निम्नलिखित वर्ग शामिल होनी हैं —

(1) राज्य की सीमा के अन्तर्गत आने वाला भूमि प्रदेश

(2) भूमि प्रदेश का जल मंडल

(3) प्रादेशिक जल क्षेत्र, जल — किसी राज्य के समुद्र तट के आस-पास तीन मील या वरद मील का समुद्र

(2) राज्य की सीमा के अन्तर्गत आने वाला वायुमण्डल ।

(3) सरकार — सरकार राज्य का संगठनात्मक तत्व है। किली निश्चित प्रदेश के निवासी तब तक राज्य का रूप धारण नहीं कर सकते, जब तक कि उसका एक राजनीतिक संगठन न हो। सरकार राज्य का व्यावहारिक पक्ष है। प्राचीन समय में सरकार का संगठन सरल और उसके कार्य सीमित थे परन्तु वर्तमान समय में सरकार के संगठन में जोरिलता प्राप्त कर ली है। सरकार राजनैतिक कुलीनतात्मक या पञ्जा - नैवात्मक किली भी प्रकार की हो सकती है, यद्यपि पञ्जा नैवात्मक सरकार को अन्य सरकारों की तुलना में निश्चित रूप से ग्रैह समझा जाता है।

(4) सम्प्रभुता — उपर्युक्त तीन तत्वों से सम्प्रभुता है। एक निश्चित प्रदेश में रहने वाले लोग उस समय तक राज्य का निर्माण नहीं कर सकते, जब तक कि इनके अधिकार से सम्प्रभुता न हो। राज्य की सम्प्रभुता है हमारा तात्पर्य यह है कि राज्य आन्तरिक रूप में उच्चतम है अर्थात् अपने लोग में स्थित सभी व्यक्तियों एवं समुदायों को जो शा प्रदान कर सके, इन आशाओं

का पालन कर लेने तथा कद वाहरी
 नियंत्रण से मुक्त हो अर्थात् दूसरे
 राज्य के साथ अपना इच्छामार्ग सहज
 स्थापित कर ले। इस प्रकार की
 जा सकने है कि प्रत्येक राज्य
 के अन्तर्गत जनसंख्या प्रिचिन पर
 नियमपूर्वक स्थापित लेकर और
 समझना होना चाहिए। इनमें से किसी
 में एक नून के अभाव में उसे
 लगान की शक्ति नहीं कहा जा सकता
 है